

# राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक ...../अ-3/2022-23

म प्र शासन विरुद्ध समस्त ग्रामवासी ग्राम.....LGD कोड..... प.ह.न. ....

रा. नि. मं. .... तहसील.....

1	2	3
	<p>प्रकरण पेश।</p> <p>प्रकरण में स्वामित्व योजना के अंतर्गत आबादी सर्वेक्षण की कार्यवाही उपरांत अंतिम प्रकाशन हेतु प्रतिवेदन निम्नानुसार है :-</p> <p>मध्यप्रदेश भू -राजस्व संहिता (भू -सर्वेक्षण तथा भू - अभिलेख) नियम, 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम..... प.ह.न. .... रा.नि.मं. .... तहसील..... जिला..... स्थित आबादी क्षेत्र के सर्वेक्षण की कार्यवाही की गई है।</p> <p>उक्त ग्राम की आबादी क्षेत्र का ड्रोन फ्लाई के उपरांत गठित दल के माध्यम से सर्वेक्षण कर प्रारूप अधिकार अभिलेख एवं प्रारूप नक्शा का निर्माण कराया गया। प्रारूप अभिलेखों का प्रकाशन किया गया। प्रकाशन उपरांत दावा आपतियां प्राप्त हुई/नहीं हुई। प्राप्त दावा आपतियों का निराकरण विधि अनुसार किया गया। निराकरण उपरांत तैयार की गई संशोधन सूची जो प्रकरण में संलग्न है। उक्त संशोधन प्रारूप अभिलेखों में दर्ज किये गए और नक्शा एवं अधिकार अभिलेख को अंतिम रूप प्रदान किया गया। नक्शा एवं अधिकार अभिलेख प्रकरण में संलग्न हैं।</p> <p>इस प्रकार म.प्र. भू राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 16, 17 एवं 18 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण का तैयार नक्शा एवं अधिकार अभिलेख का अनुमोदन एवं नियम 20 के तहत अंतिम प्रकाशन किये जाने हेतु प्रतिवेदन उप सर्वेक्षण अधिकारी..... के माध्यम से जिला सर्वेक्षण अधिकारी की ओर सादर प्रेषित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>सहायक सर्वेक्षण अधिकारी</b> तहसील..... जिला.....</p> <p>उप सर्वेक्षण अधिकारी .....जिला.....</p>	

राजस्व आदेश अनुवृत्ति पत्र

राजस्व प्रकरण क्रमांक ...../अ-3 /2022-23

म प्र शासन विरुद्ध समस्त ग्रामवासी ग्राम.....LGD कोड..... प.ह.न. ....

रा. नि. मं. .... तहसील.....

1	2	3
	<p>प्रकरण सहायक सर्वेक्षण अधिकारी से प्राप्त।</p> <p>- प्रकरण का अवलोकन किया गया, प्रकरण में समस्त आवश्यक दस्तावेज संलग्न हैं।</p> <p>- सहायक सर्वेक्षण अधिकारी.....के द्वारा मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के प्रवधानों के अंतर्गत ग्राम ..... प.ह.न..... रा.नि.मं. .... तहसील ..... जिला ..... में स्थित आबादी क्षेत्र का सर्वेक्षण की कार्यवाही उपरांत प्रथम प्रकाशन के दौरान प्राप्त दावे/आपत्तियों का विधि पूर्वक निराकरण किया जाकर संशोधित अधिकार अभिलेख प्रारूप का द्वितीय प्रकाशन कराया गया। तदुपरांत अंतिम प्रकाशन किये जाने हेतु जिला सर्वेक्षण अधिकारी की ओर प्रेषित किये जाने हेतु प्राप्त हुई हैं।</p> <p>उक्त प्रकरण में म.प्र. भू-राजस्व संहिता (भू-सर्वेक्षण तथा भू-अभिलेख) नियम, 2020 के नियम 16, 17 एवं 18 में निर्धारित प्रक्रिया पूर्ण कर, तैयार कराये गए आबादी नक्शा एवं अधिकार अभिलेख का अनुमोदन एवं नियम 20 के तहत अंतिम प्रकाशन कर WEB GIS पोर्टल पर अपलोड कराये जाने हेतु प्रकरण जिला सर्वेक्षण अधिकारी, जिला.....की ओर मूलतः सादर प्रेषित है।</p> <p style="text-align: right;"><b>उप सर्वेक्षण अधिकारी</b> अनुविभाग..... जिला.....</p> <p><b>जिला सर्वेक्षण अधिकारी</b> जिला.....</p>	